-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **उ0प्र शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन शिकंजा के क्रम में बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा पेशेवर फर्जी जमानदारों को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा फर्जी आधार कार्ड,फर्जी खतौनी व विभिन्न फर्जी प्रपत्रो का प्रयोग कर बांदा के विभिन्न थानों व आस पास के कई जनपदो में फर्जी तरीके से ली गई थी जमानत।**

विवरण- उ0प्र0 शासन मां0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के क्रम में आज दिनांक 02.12.2025 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस0 के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल नेतृत्व में व अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज, क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के निकट पर्यवेक्षण थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा फर्जी जमानतदारों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 12.11.2025 को थाना तिन्दवारी पर कार्यरत उ0नि0 शिवकरन सिंह द्वारा फर्जी जमानत लेने के सम्बन्ध में अभियुक्त बलवीर व 20.11.2025 को थाना तिन्दवारी क्षेत्र के रहने वाले श्री राम सिंह ने थाना स्थानीय दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरे नाम का फर्जी आधार कार्ड, खसरा खतौनी व फर्जी फोटो लगाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कूटरचित तरीके से एनडीपीएस के अभियुक्त की मा0 न्यायालय में जमानत ली गई है। इस संबन्ध में थाना तिन्दवारी पर क्रमश: मु0अ0सं0 274/25 व 285/25 पंजीकृत किया गया था व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, अभिसूचना संकलन, अभिलेखो के सत्यापन व मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त हरिशंकर को मवई तिराहा कोतवाली देहात के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके पास कूटरचित आधार कार्ड व अन्य फर्जी परिपत्र प्राप्त हुए। पुलिस द्वारा अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ कि गई तो बताया कि उक्त फर्जी परिपत्र मेरे साथी हेमन्त द्वारा बनाये जाते है पकड़े गए अभियुक्त के निशादेही पर हेमन्त को संकट मोचन मंदिर थाना कोतवाली नगर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से फर्जी दस्तावेज व अन्य सामान बरामद हुआ। तत्तपश्चात पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य अभियुक्तो के गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे कि तेरहीमाफी मोड़ थाना तिन्दवारी के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे पूर्व से गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा पहचान कर बताया गया कि यही बलवीर है जो हमारे साथ फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर घटना को अंजाम देता है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास भी फर्जी परिपत्र प्राप्त हुए। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है व अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि हम लोग शिवस्वरुप उर्फ मास्टर व रामबाबू के साथ मिलकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड, फर्जी फोटों व अन्य फर्जी परिपत्र का प्रयोग कर फर्जी रुप से कारागार में निरुद्ध अभियुक्तों की जमानत लेते है साथ ही हमारे द्वारा थाना तिन्दवारी, थाना पैलानी, थाना बबेरु,

थाना जीआरपी बांदा, थाना कोतवाली नगर व अन्य थानों के साथ-साथ जनपद चित्रकूट के अभियुक्तों की कूटरचित तरीके से जमानत ली गई है।

बरामदगी-

- 35 आधार कार्ड व अन्य कागजात
- 01 सीपीयू, 01 प्रिंटर, 01 टीएफटी, 01 की बोर्ड, 01 माउस, 01 एक्सटेंशन (फर्जी परिपत्र तैयार हेतु प्रयुक्त सामान)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हरिशंकर उर्फ विजयशंकर पुत्र कृपाली निवासी ग्राम करहिया थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. हेमन्त पुत्र चन्द्रभवन निवासी ग्राम जसईपुर थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
3. बलवीर पुत्र जगमोहन निवासी ग्राम पिपरगवां थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

वांछित अभियुक्त

1. शिवस्वरुप उर्फ मास्टर पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम भिंडौरा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
2. रामबाबू उर्फ डाक्टर पुत्र कल्लू निवासी पिपरहरी थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 274/25 धारा 319(2)/318(2)/318(4)/246/237 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 229/233/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0-285/25 धारा 229/233/237/246/318(4)/318(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 319(2)/61(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह थाना प्रभारी तिन्दवारी
2. उ0नि0 अंजनी कुमार पाण्डेय
3. उ0 नि0 श्री दिनेश सिंह
4. उ0 नि0 श्री राम आधार रावत
5. हे0 कां0 रामचन्द्र यादव
6. कां0 सुमन्त सिंह
7. कां0 महेन्द्र कुमार
8. कां0 अमन